आगे पत्रावली दिनांक 29.6.18 को पेश हो।

1.5.18 पत्रावली आज निर्णय हेतु मजलिसआम में पेश हुई। वादी मंजू व अंवार अनुपस्थित। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि पैतृक भूमि साबित नहीं है। भूमि का राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी सं. 1 से 3 के नाम से दर्ज रिकार्ड है। [illegible] की मृत्यु के बाद तरमीम नामान्तरण को भी वादीगण द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है। वादीगण ने अपने कब्जा काश्त के संबंध में भी कोई रिकार्ड दस्तावेज पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वादपत्र साबित नहीं होने से खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादीगण का वादपत्र साबित नहीं होने तथा आधारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुदा होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।